भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3546

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

3546. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ढांचे के अंतर्गत दूरस्थ जनजातीय जिलों में विशेषकर सभी तक बैंकिंग पहुंच और कम डिजिटल अवसंरचना वाले क्षेत्रों में शिकायत निवारण के संबंध में वित्तीय समावेशन परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या ओडिशा को किसी राष्ट्रव्यापी डिजिटल वित्तीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत लक्षित किया गया है और यदि हां, तो वित्तीय साक्षरता केन्द्रों, विद्यालय-आधारित जागरूकता माड्यूलों अथवा स्वयं सहायता समूह-स्तरीय अभियानों के माध्यम से बोलंगीर जैसे जनजातीय बहुल और प्रवास-प्रवण जिलों में संकेन्द्रित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल रूप से अनुपयुक्त क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं की पहुँच के संदर्भ में डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की थी। सरकार की वित्तीय समावेशन पहलों को गति प्रदान करने के लिए पीएमजेडीवाई को 14 अगस्त, 2018 से आगे बढ़ा दिया गया था जिसमें "प्रत्येक परिवार" से "प्रत्येक बैंक रहित वयस्क व्यक्ति को इसमें शामिल करते हुए उनके खाते खोलने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

पीएमजेडीवाई पूरे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रसार करने में सफल रही है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत दिनांक 25.07.2025 तक 2,61,982 करोड़ रुपये की जमा शेष राशि के साथ कुल 55.98 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। जन धन-आधार-मोबाइल (जैम) फ्रेमवर्क डीबीटी प्रवाह को आसान बनाने, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को अपनाने, ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने आदि जैसे उपायों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। देश के दूरस्थ जनजातीय जिलों में जैम फ्रेमवर्क के संबंध में ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ओडिशा में "गोइंग डिजिटल" और "टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक" अभियान जैसे शिविरों के माध्यम से सक्रिय रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान,जवाबदेहपूर्ण उधार, साइबर सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के लिए फोकस समूह किसान, छोटे उद्यमी, स्कूली छात्र, एसएचजी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। ओडिशा राज्य में जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान आयोजित शिविरों का विवरण इस प्रकार है:

	ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित किए गये ग्रामीण शिविर	एफ एल सी द्वारा "गोइंग डिजिटल" शिविर	एफएलसी द्वारा 'टारगेट विशिष्ट शिविर'	सीएफएल द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरुकता कार्यक्रम (एफएलएपी)
बालांगिर	330	10	30	951
ओडिशा	9,150	464	861	18,518

स्त्रोत: एसएलबीसी, ओडिशा

डिजिटल वित्तीय साक्षरता सहित वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए *अन्य बातों के साथ-साथ*, विभिन्न जागरूकता उपाय और पहलें की जा रही हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरुआत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2017 से वित्तीय साक्षरता के लिये समुदाय के नेतृत्व वाले नवाचार और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च, 2025 तक देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

ii. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने एफएलसी के जरिए यूपीआई के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" और *99# (यूएसएसडी) पर आम जनता के लिए शिविर आयोजित करें और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए अनुकूलित शिविर लगाएं।

iii. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संदेशों को कवर करते हुए प्रतिमाह एक शिविर आयोजित करें जो वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का भाग है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल हैं।

iv. देश भर में आम जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए वर्ष 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित किया जाता है।

v. "आरबीआई कहता है" नामक आरबीआई का मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान वित्तीय

साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) नामक एक योजना कार्यान्वित की जिसे राष्ट्रव्यापी छ (06) करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश भर में 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 4.39 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लागू की गई थी।

पीएमजीडीआईएसएचए योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि) संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना था। 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

पीएमजीडीआईएसएचए योजना का प्रभाव विश्लेषण तीन एजेंसियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। सभी तीन आकलनों ने लगातार ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी।

******